Reliance Jio
Infocomm Limited

Ref.:- RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BARABANKI/FOREST/02 **Date:- 06.02.2023**

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

विषयः रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

सन्दर्भः आपका पत्रांक संख्या– 418/14–4–4, बाराबंकी दिनांक– 29.07.2022 व उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्रांक सं0– पी–179/81–2–2022–800(185)/2022, दिनांक– 28.06. 2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3761/11–सी–FP/UP/Others/143114/2021 दिनांक– 30.06.2022 तथा वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या के कार्यालय का पत्रांक– 16/14–10 दिनांक 01.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के कम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक–28.06.2022 में अंकित समस्त शर्तो (बिन्दु सं0–04 को छोड़कर) की बिन्दुवार अनुपालन आख्या मय प्रमाण पत्र हमारे द्वारा पत्रांक सं0– RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BARABANKI/FOREST/01, Date:- 19.09.2022 के माधयम से आपके कार्यालय में जमा करा दी गयी थी। उक्त के कम में बिन्दु सं0– 04 के अनुपालन में निस्तारण निम्नवत हैः–

कमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया गया है, एवं मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आप से अनुरोध है कि अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नकः– FRA Certificate in Original.

(for-plantations on non-forest land and notified as" protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule6(3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh
Office of District Collector, Barabanki
No,.984/ए-न-ए-II.....Dated 28-01-2023...

TO WHOMSOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.4110 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Reliance Jio Infocomm Ltd. Lucknow** for Laying of Optical fiber cable in the district falls within the jurisdiction of Barabanki District, Uttar Pradesh Lucknow-Sultanpur Road NH-56 (New NH-731) (Form Km. No. 35.00 To - 64.00 LHS) and Haidergarh-Ram Sanehighat Road (Barabanki-Jaidpur-Sidhaur-Deviganj-Bhitariya) (KM No. 33.788 To KM No. 43.788 LHS), having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely Lucknow-Sultanpur Road NH-56 (New NH-731) and Haidergarh-Ram Sanehighat Road (Barabanki-Jaidpur-Sidhaur-Deviganj-Bhitariya) involved in the above village are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 3208/14 dated 23-08-1955 and 1115/14-331-50 dated-10-02-1960.

(b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (Residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

प्रभागीय निदेशक
सा०वा०वन प्रभाग
बाराबंकी

कार्यालय जिलाधिकारी बाराबंकी

District Magistrate
Barabanki

Scanned with CamScanner

Reliance Jio
Infocomm Limited

Ref.:- RJIL/OFC/NLD/EAST/UP/BARABANKI/FOREST/01 **Date:- 19.09.2022**

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।

विषयः रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

सन्दर्भः आपका पत्रांक संख्या– 418/14–4–4, बाराबंकी दिनांक– 29.07.2022 व उ0प्र0 शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2 के पत्रांक सं0– पी–179/81–2–2022–800(185)/2022, दिनांक– 28.06.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 3761/11–सी– FP/UP/Others/143114/2021 दिनांक– 30.06.2022 तथा वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या के कार्यालय का पत्रांक– 16/14–10 दिनांक 01.07.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में उ0प्र0 शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक–28.06.2022 में अंकित समस्त शर्तो की टेबुलर फार्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	Full exemption of NPV in case of laying of underground OFC cable provided no felling of trees is involved and area proposed for diversion is outside of Protected Area as per the MOEF&CC Guideline F.NO. 5-B/2007-FC dated 05.02.2009.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित कार्य में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा तथा कार्य के दौरान अगर किसी वृक्ष का पातन किया जाता है तो MOEF&CC Guideline F.NO. 5-B/2007-FC dated 05.02.2009 के निर्देशानुसार याचक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 जमा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रकियाधीन है तथा MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि Final Approval से पूर्व FRA Certificate प्राप्त कर लिया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नही है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले–आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
8	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ती याचक विभाग द्वारा

	or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
10	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग, या वयक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	Violation of any of these conditions will amut to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम–1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्षों का पातन नही किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
16	ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ायी 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ायी 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
18	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
19	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

20	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
21	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
22	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद–शमशाबाद–आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0 10900000/– (एक करोड नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है जिसका प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल ब्राडबेंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियों इंफोकाम लि0 है)
23	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू–स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
24	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
25	भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नही है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
26	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्च न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली जायेगी।	प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
27	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11–9/98 – एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
28	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उतसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू

	जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
29	नोडल अधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
30	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय करेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
31	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
32	उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
33	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायेगा जिसके पश्चात विधिवत स्वीकृति प्राप्त करेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
34	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य मे प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की गयी है। भविष्य मे प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने याचक विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण–पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त मार्ग की अनुमति जारी करने का कृपा करे।

भवदीय,

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 05 प्रतियों में बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगाा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–2</u>

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित कार्य में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा तथा कार्य के दौरान अगर किसी वृक्ष का पातन किया जाता है तो MOEF&CC Guideline F.NO. 5-B/2007-FC dated 05.02.2009 के निर्देशानुसार याचक विभाग द्वारा एन0पी0वी0 जमा की जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–3

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त धनराशि कैम्पा फण्ड के ई–पोर्टल पर जमा कर दी जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–4</u>

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रक्रियाधीन है तथा MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि Final Approval से पूर्व FRA Certificate प्राप्त कर लिया जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–5

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–6

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले–आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ती याचक विभाग द्वारा की जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–9

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–10

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य ऐजेन्सी, विभाग, या वयक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–11</u>

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम–1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–12

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी को मान्य है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–13

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्षों का पातन नही किया जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–15

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल/टेलीफोन लाइन/मार्गो/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तो के किनारे–किनारे ही बिछायी जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद— बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 731 (पुराना एन0 एच0—56) लखनऊ—सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी—जैदपुर—सिद्धौर—देवीगंज—भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या— FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण—पत्र, बिन्दू सं0—16

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि ओ0एफ0सी0 केबिल / टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ायी 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–17

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू–क्षरण की सम्भावना न हो।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–18

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–19

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–20

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–21

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भॉति यथावत् बना रहेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता**

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–22

याचक विभाग द्वारा सचिव उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या 3544/14–2–2008 लखनऊ दिनांक 23 अगस्त 2008 के अनुपालन में जपपद आगरा में फतेहाबाद–शमशाबाद–आगरा एवं इरादतनगर नगर मार्ग कुल लम्बाई 20 कि.मी. पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू0 10900000/– (एक करोड नौ लाख मात्र) ड्रॉफ्ट सं0 300246 दिनांक 8.11.2013 को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग आगरा में जमा करा दिया गया है। (नाम परिवर्तन के पश्चात् नया नाम का प्रमाण प्रस्ताव भी संलग्न है। पूर्व में मेसर्स इंफोटेल ब्राडबेंड लि0 था एवं वर्तमान में रिलायन्स जियों इंफोकाम लि0 है)।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–23

याचक विभाग द्वारा भू–स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

<u>वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–24</u>

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–25

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग–अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नही है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–26

याचक विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नही होने संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–27

याचक विभाग द्वारा भू–संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–28

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उतसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–30

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–31

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–32

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय–समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–33

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायेगा जिसके पश्चात विधिवत स्वीकृति प्राप्त करेगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लि0 लखनऊ द्वारा जनपद– बाराबंकी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या– 731 (पुराना एन0 एच0–56) लखनऊ–सुलतानपुर मार्ग किमी0 35.00 से किमी0 64.00 के मध्य बायीं पटरी तथा मुख्य जिला मार्ग (बाराबंकी–जैदपुर–सिद्धौर–देवीगंज–भिटरिया मार्ग) किमी0 33.788 से किमी0 43.788 तक बायीं पटरी पर कुल 39.00 किमी0 पर ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाए जाने हेतु प्रभावित 0.4110 हे0 संरक्षित वन भूमि में बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/Others/143114/2021.

वचनबद्धता प्रमाण–पत्र, बिन्दू सं0–34

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की गयी है। भविष्य मे प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने याचक विभाग स्वयं उत्तरदायी होगा।

कृते रिलाएन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड

पंकज खरे (प्रबन्धक)
रिलायन्स जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
लखनऊ

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता